(267) राजस्व मण्डल

समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा कैम्प रीवा म॰प्र॰

छोटेलाल सिंह पिता रामकुमार सिंह निवासी सोनवर्षा तहसील मऊगंज जिला रीवा म॰प्र॰ - आवेदक

बनाम

R-2389-II/12

1· दिवाकर प्रसाद तनय छेदीलाल जोगी सा0 सोनवर्षा तहसील मऊगंज जिला रीवा म॰प्र॰

2· शासन म॰प्र॰ --- अनावेदक

सतेन्द्र सिंह परिहार 6/7/12

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश श्री मान तहसीलदार वृत्त चाक के प्रकरण क्र0 22ए-12/11-12 आदेश दिनांक 3·5·12 को पारित आदेश।

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा50 म॰प्र॰ भू॰रा॰सं॰ 1959 के संशोधित अधिनियम सन 2011 के अनुसार धारा10 म॰प्र॰भू॰रा॰सं॰।

Supdt. Commissioner's office Rewa Division Rewa (M.P.)

कमिश्नर कार्यालय रीवा संभाग रीवा से प्राप्त 9·7·12

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित है :-

1· यह कि अधी0 न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

2· यह कि आराजी नं0 279/2 स्थित ग्राम मेहेबा तहसील त्योंथर जिला रीवा आवेदक के पट्टे कब्जे की आराजी है, उक्त आराजी से लगी हुई, आराजी नं0 267/3 मौजा मेहेबा तहसील त्योंथर की है, उपरोक्त वर्णित दोनो भूमियां आपस मे लगी हुई है, तथा आवेदक छोटेलाल सरहददी काश्तकार है किन्तु उसे यानी छोटेलाल सिंह को बिना किसी तरह कोसूचना दिये हुए तथा बिना किसी सीमा चिन्ह को आधार माने हुए अनावेदक दिबाकर प्रसाद द्वारा अपनी आराजी क्र0 267/3 का सीमांकन कराने के लिए पटवारी हल्का शंकरपुर द्वारा कराया गया जिसमे आवेदक छोटेलाल सिंह को कोई सूचना नही दी गई जैसा कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से ही स्पष्ट है कि कोई पैमाइश नही की गई है केवल पत्थरगाडे गये है। साथ ही

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2389-II / 2012 जिला–रीवा

छोटेलाल सिंह / दिवाकर प्रसाद सोनी

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त चाक, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 22/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मउगंज, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	